



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

W 449903

किरायानामा

पक्षकार क्रमांक-1 :
(मकान मालिक)

श्रीमती निशात खान ध.प. श्री ए.के. खान
निवासी-एम.आई.जी.-583, पद्मनाभपुर, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.), मो.नं. 9406069030

पक्षकार क्रमांक-2 :
(किरायेदार)

सौरभ गुलहाने आ. आर.के. गुलहाने
एम.आई.जी.-583, पद्मनाभपुर, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.), मो.नं. 7803056596

पक्षकार क्रमांक-1 मकान मालिक तथा पक्षकार क्रमांक-2 किरायेदार कहलायेगा।
यह किरायानामा पक्षकार क्रमांक-2 एवं पक्षकार क्र. -1 के मध्य निम्न शर्तों के आधार पर लिखा
गया है:-

01. यह कि, पक्षकार क्रमांक-1 का मकान स्थल -(भूतल) एम.आई.जी.-583, पद्मनाभपुर,
दुर्ग में स्थित है जिसे पक्षकार क्रमांक-2 को किराये पर दिया गया है।
02. यह कि, पक्षकार क्रमांक-1 एवं 2 के मध्य किरायेदारी की यह शर्त 11 माह के लिये होगा
अर्थात पक्षकार क्रमांक-2 को उक्त मकान 11 माह के लिये किराये पर दिया गया है जिसकी
अवधि दिनांक 15.12.2021 से दिनांक 14.11.2022 तक के लिये किराये पर
लिया है।

Mushet Khan

क्रमांक: 2...

- यह कि, किरायेदारी दिनांक 15.12.2021 से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक माह का किराया - 7,500/- (अक्षरी-सात हजार पाँच सौ रुपये) होगा तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से पक्षकार क्रमांक-2 स्वतः पक्षकार क्रमांक-1 मकान मालिक को अदा कर देगा।
04. यह कि मकान में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तथा मकान का उपयोग केवल निवास कार्य के लिये होगा।
06. यह कि, पक्षकार क्र.-2 उक्त मकान में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा विद्युत बिल एवं जल कर का भुगतान पक्षकार क्र.-2 करेगा तथा मकान को जिस हालत में दिया गया है, उसी हालत में व्यवस्थित रखेगा और न ही किसी को उप-किराये पर देगा।
07. यह कि किरायेदार, मकान मालिक के पास अमानत स्वरूप 15000/- (अक्षरी-पन्द्रह हजार रुपये) जमा किया है, जिसे खाली करते समय मकान मालिक, किरायेदार को बिना ब्याज के वापिस करेगा।
08. यह कि 11 माह पश्चात् उक्त मकान, किरायेदार को किराये पर दिया जाता है तो किराये की राशि में 10% वृद्धि की जावेगी।
09. यह कि, किरायेदारी 11 माह के लिये होगा तथा मकान मालिक 11 माह के समयावधि पूर्व खाली कराने की स्थिति में किरायेदार को 2 माह पूर्व सूचित करेगा तथा किरायेदार 11 माह समयावधि के पूर्व खाली करने की स्थिति में मकान मालिक को 2 माह पूर्व सूचित करेगा। समयावधि पूर्ण होने पर अर्थात् 11 माह पश्चात् आगे किराये पर देना या ना देना मकान मालिक के ऊपर निर्भर करेगा।
10. यह कि, किरायेदारी की किसी भी शर्त में उलंघन होने पर पक्षकार क्रमांक-2 को तत्काल मकान खाली करना पड़ेगा, जिसके लिये कोई कानूनी कार्यवाही पक्षकार क्रमांक-2 द्वारा नहीं किया जायेगा।

गवाह :-

(1) Mukesh
ए० कै० रवाना

पक्षकार क्रमांक-1 (मकान मालिक)

Nishat-Khan

(श्रीमती निशात खान)
PAN NO - DYM PK 6187 K


(2) Saurabh
फृटपैड रवाना

पक्षकार क्र.-2 (किरायेदार)

Saurabh

(सौरभ गुलहाने)

E 3 JAN 2022

नामक 2082 दिनांक संख्या (1) कानून 50
नाम अमित तिक्काराम वर्मा आत्मज श्री रुद्र कुमार
निवासी उमीद तह - दुर्गा, जिला - दुर्गा (छ.ग.)
मार्फत
नाम श्याम भगवल हनुमा मार्हण शुल्कान दुर्गा
वास्ते उमीद कानून


E 3 JAN 2022

(अभिषेक जैन)
स्टाम्प वेद्ध
अलका टाइपिंग, जैन मादर रोड
पा. छ.ग. फोन - 93222200